# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 698/2014/उदयपुर.**

सहायक आयुक्त, वृत्त–डी, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पटेल मनीभाई कादर जी, खैरवाड़ा, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**

**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

**दिनांक : 15/02/2017**

## निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 82/वैट/13–14/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 08.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–'ब', उदयपुर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24(6) के तहत् कर निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिये पारित आदेश दिनांक 18.06.2013 में अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 15,260/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया था, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य वर्ष 2008–09 का प्रथम कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.02.2011 को पारित किया गया था जिसमें चारों तिमाही विवरण पत्र विलम्ब से दिनांक 31.12.2009 को प्रस्तुत होने से अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था जिसके विरूद्ध अपील की जाने पर प्रथम बार अपीलीय अधिकारी उदयपुर ने आदेश दिनांक 20.04.2012 में प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाना अनुचित मानते हुए अन्त में यह लिखा गया कि ''अतः व्यवसायी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर जांच कर पुनः नियमानुसार कार्यवाही करें।''

3. उक्त आदेश दिनांक 20.04.2012 के निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने की पूर्ण कार्यवाही कर पुनः दिनांक 18.06.2013 को वर्ष 2008–09 का आदेश पारित किया जिसमें यह विवेचन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से जो जवाब दिया गया है वह

**लगातार.....2**

अधिनियम की धारा 58 में शास्ति को छोड़ने के लिये प्रयाप्त नहीं है एवं व्यवसायी द्वारा अपने दायित्वों को नहीं निभाना माना गया एवं पुनः अधिनियम की धारा 58 में शास्ति रूपये 15,260/– आरोपित कर दी गई।

4. उक्त आदेश दिनांक 18.06.2013 के विरूद्ध पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर दिनांक 08.01.2014 को निर्णय दिया गया जिसमें प्रवर्तनशील भाग (operative part) निम्नांकित है–

> "पूर्व में वाद प्रतिप्रेषित नहीं किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र था शास्ति दो वर्ष बाद आरोपित की गई है। वैट एक्ट की धारा 66(a) के अनुसार शास्ति दो वर्ष बाद आरोपित नहीं की जा सकती है अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।"

5. उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 08.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील में राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त अपीलांधीन आदेश वास्तविक तथ्यों के विपरीत है क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने इस आदेश में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 18.06.2013 को इस आधार पर अपास्त किया है कि उसमें धारा 58 की शास्ति मूल आदेश दिनांक 21.02.2011 के दो वर्ष बाद दिनांक 18.06.2013 को पारित किया गया है जो अधिनियम की धारा 66 के तहत अवधिपार है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलीय आदेश में यह असत्य वर्णन किया है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 20.04.2012 में प्रतिप्रेषण नहीं किया गया था जबकि मूल आदेश में प्रतिप्रेषित किया जाना अंकित है एवं प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 20.04.2012 की पालना में अधिनियम की धारा 24(6) के तहत पुनः आदेश पारित किया जाना विधिक प्रावधानों के अधीन होने से अपास्तनीय है।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने गुणावगुण पर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत किये गये थे अतः शास्ति का आरोपण सुनवाई के पश्चात एवं विलम्ब होने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं होने से अधिनियम की धारा 58 में जो शास्ति आरोपित की गई है वह पूर्णतया विधिक है अतः अपीलीय आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित करने का निवेदन किया।

7. बावजूद सूचना के प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों पर यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

लगातार.....3

8. अपीलीय अधिकारी के दोनों आदेश दिनांक 08.01.2014 एवं दिनांक 20.04.2012 जिनका वर्णन उपरोक्त तथ्यों में हुबहु किया गया है इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय आदेश में प्रथम कर निर्धारण आदेश को प्रतिप्रेषित किया गया था जबकि द्वितीय उक्त विवादित अपीलीय आदेश दिनांक 08.01.2014 में उन्हीं अपीलीय अधिकारी द्वारा यह गलत तथ्य लिखा गया है कि पूर्व में वाद प्रतिप्रेषित नहीं किया गया था। अतः इस गलत तथ्य पर आधारित एवं धारा 66 के आलोक में दिया गया निर्णय अविधिक होने से अपास्त किया जाता है परन्तु प्रकरण में आरोपित शास्ति पर गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

9. कर निर्धारण आदेश एवं मूल आदेश के परीक्षण पर मूल आदेश में यह पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि वर्ष 2008—09 में जमा योग्य राशि शून्य थी अर्थात प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर जमा कराने का कोई दायित्व नहीं था ऐसीं स्थिति में दिनांक 15.04.2011 तक अवस्थित अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति के प्रावधान अनुसार धारा 20 में प्रतिमाह कर अदा करने के दायित्व वाले व्यवसायियों के लिये ही कर की 30 प्रतिशत के शास्ति आरोपण का एवं अन्य व्यवहारियों के लिये अधिकतम शास्ति रूपये 5,000/— आरोपणीय थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इस वर्ष में कोई कर जमा नहीं कराया गया परन्तु विधिक प्रावधान यह भी है कि प्रतिमाह कर जमा कराने का दायित्व उन व्यवहारियों का होता है जिनका पिछले वर्ष कुल कर जमा की राशि रूपये 20,000/— थी। ऐसी स्थिति में इस वर्ष में माहवारी करदाता की श्रेणी में सम्मिलित होगें अतः इस प्रकरण में कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाते है एवं कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि यदि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2007—08 में यदि कर के रूप में जमा राशि न कि आउटपुट राशि यदि रूपये 20,000/— से कम हो तो केवल रूपये 5,000/— की शास्ति आरोपित करें एवं यदि जमा राशि रूपये 20,000/— से अधिक हो तो रूपये 15,266/— पुनः आरोपित करें।

10. फलतः अपील स्वीकार कर उपरोक्तानुसार प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

15/2/2017

( के. एल. जैन )
सदस्य